न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 92/2022

जसवंत सिंह बनाम सुखदेव सिंह

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(घ) सिविल प्रक्रिया संहिता, सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता — प्रार्थी/प्रतिवादी
2. श्री मोहन लाल माहर अधिवक्ता — अप्रार्थी /वादी

–:: आदेश ::– दिनांक :– 25.08.2025

वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) सी.पी.सी., 151 सी.पी.सी. पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार उपरोक्त अनवान का वाद, वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का स्वंय को खातेदार घोषित करवाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि "इच्छा पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तरण को निरस्त फरमाया जावे।" इस सम्बन्ध में लेख है कि इच्छा–पत्रकर्ता श्रीमती गोविन्द कौर ने दिनांक 26.12.1964 को उपपंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर में उपस्थित होकर, 2 गवाहों की उपस्थिति में उक्त इच्छा पत्र (वसीयतनामा) अपनी स्वतन्त्र इच्छा से निष्पादित करके विधिवत तौर पर पंजीबद्ध करवाया था। उक्त वसीयतनामा जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है, के आधार पर इन्तकाल विधिवत रूप से दर्ज हुआ था। इस प्रकार वादी ने इस वाद के माध्यम से एक रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज वसीयतनामा की वैधता/प्रमाणिकता को चुनौती दी है। विधि का यह सुस्थापित नियम है कि वसीयत की वैधता की बाबत न्याय निर्णय हेतु केवल सिविल न्यायालय को अधिकारिता है, वसीयत की वैधता राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं की जा सकती । इस कारण यह वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का ना होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य है। वर्तमान प्रार्थना पत्र जिस आधार पर वाद निरस्त करवाए जाने की प्रार्थना की जा रही है, उसके लिए केवल मात्र वाद में उल्लेखित अभिकथनों का अवलोकन ही पर्याप्त है, जिसके लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है केवल वाद पत्र में उल्लेखित अभिकथनों से ही यह प्रकट हो जाता है कि वाद के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा को आक्षेपित किया गया है। इस कारण राजस्व न्यायालय को वाद के विचारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार वर्तमान प्रार्थना पत्र में उठाए बिन्दू (वाद की पोषणीयता) का निस्तारण वर्तमान प्रार्थना पत्र के माध्यम से करते हुए वाद पत्र को इसी स्तर पर निरस्त किए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर [illegible] है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का [illegible] जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में अंकित [illegible] के आधार पर दर्ज नामान्तरण को निरस्त फरमाया जावे शेष कथन कि पंजी[illegible] वसीयत को निरस्त करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को है कतई स्वीकार्य नही है। गौर तल्लब है कि अप्रार्थी/वादी ने अपने मुख्य एवं अनुषांगिक अनुतोष में कही भी वसीयतनामा को निरस्त करने का अनुतोष नही मांगा है। बल्कि अप्रार्थी ने प्रश्नगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राज[illegible]
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कृषि भूमि में केवल अपने हिस्सा की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। जिसकी क्षेत्राधिकारता प्रभावी अधिनियम के तहत श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त है। फिर भी प्रार्थना पत्र में अपेक्षित बिन्दु एक तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दु है जो केवल तनकी कायम कर साक्ष्य उपरान्त ही तय किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में अंकित कि वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को ही पढ़ा जा सकता है का कोई विरोध नहीं है शेष कथन कतई स्वीकार्य नहीं है। वाद की क्षेत्राधिकारिता केवल और केवल श्रीमान् को ही प्राप्त है। विशेष कथन– अप्रार्थी/वादी ने यह वाद दिनांक 24.05.2022 को प्रेषित कर वांछित अनुतोष की मांग की गई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 7 ने जवाब दावा सहित प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया वर्तमान में वाद तनकीयात कायम कर साक्ष्य हेतु मुकर्र है। यहां गौर तल्लब यह भी है कि अप्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.04.2023 को स्वीकार फरमाया गया और जिसकी अपील भी माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 25.07.2023 को निरस्त फरमा दी गई प्रार्थी का मात्र उद्देश्य केवल कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग करना है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 7 के पास तथाकथित वसीयतनामा में वर्णित प्रश्नगत् कृषि भूमि का कब्जा ना तो आज है ना पहले कभी था। विशेष अब प्रश्नगत कृषि भूमि का स्वतव भी प्रार्थी/प्रतिवादी के पास नहीं रहा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(d) सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सव्यय धारा 358 सीपीसी के अन्तर्गत निरस्त फरमाया जावे तो जनाब की मेहरबानी होगी।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी की मुख्य बहस यह रही कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि इच्छा पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तरण को निरस्त फरमाया जावे। उक्त वसीयतनामा जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है, के आधार पर इन्तकाल विधिवत रूप से दर्ज हुआ था। इस प्रकार वादी ने इस वाद के माध्यम से एक रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज वसीयतनामा की वैधता/प्रमाणिकता को चुनौती दी है। विधि का यह सुस्थापित नियम है कि वसीयत की वैधता की बाबत न्याय निर्णय हेतु केवल सिविल न्यायालय को अधिकारिता है, वसीयत की वैधता राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं की जा सकती। इस कारण यह वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का ना होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य है। वाद पत्र में उल्लेखित अभिकथनों से ही यह प्रकट हो जाता है कि वाद के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा को आक्षेपित किया गया है। इस कारण राजस्व न्यायालय को वाद के विचारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 (घ)सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जावे। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त –**2020(1) RRT 271, 2019(1) RRT 184, [Citation: 2016 DNJ (SC) 644], AIR 1977 SUPREME COURT 2421** पेश किये गये। **जवाब बहस में वकील अप्रार्थी/वादी की मुख्य बहस यह रही कि** प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में अंकित तथ्य कि वसीयत नामा के आधार पर दर्ज नामान्तरण को निरस्त फरमाया जावे शेष कथन कि पंजीकृत वसीयत को निरस्त करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को है कतई स्वीकार्य नही है। अप्रार्थी/वादी ने अपने मुख्य एवं अनुषांगिक अनुतोष में कही भी वसीयतनामा को निरस्त करने का अनुतोष नही मांगा है। बल्कि अप्रार्थी ने प्रश्नगत् कृषि भूमि में केवल अपने हिस्सा की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। जिसकी क्षेत्राधिकारता प्रभावी अधिनियम के तहत श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र में अपेक्षित बिन्दु एक तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दु है जो केवल तनकी कायम कर साक्ष्य उपरान्त ही तय किया जा सकता है। वाद की क्षेत्राधिकारिता केवल और केवल श्रीमान् को ही प्राप्त है। वादी ने यह वाद दिनांक 24.05.2022 को प्रेषित कर वांछित अनुतोष की मांग की गई। प्रार्थी का मात्र उद्देश्य केवल कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग करना है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 7 के पास तथाकथित वसीयतनामा में वर्णित प्रश्नगत् कृषि भूमि का कब्जा ना तो आज है ना पहले कभी था। प्रतिवादी द्वारा जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.06.2023 के अपनी भूमि का बेचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अहिल्या बापू पुत्र श्री विनोद बापू को किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 7 के नाम आज राजस्व रिकॉर्ड में भूमि नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सीपीसी निरस्त फरमाया जावे। अप्रार्थी/वादी द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2018 (1) RRT 629, [Citation: 2024 (4) DNJ (Raj.) 1783], 2018 RBJ PG 693, 2018 (1) RRT 642, पेश किये गये। वकील अप्रार्थीगण/वादी द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज बेचानामा दिनांक 12.08.2023 की प्रति पेश की गई।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्कोप अत्यन्त सीमित होता है। इसमें वाद पत्र में अभिलिखित अभिकथनों के सही होने की अवधारणा की जाती है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट लिखा है कि :-

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख)- जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग)- जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ)- जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ङ)- जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च)- जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। अप्रार्थी/वादी द्वारा अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 5 में अभिलिखित कथन किए गये हैं कि "प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के पिता ने माता गोविन्द कौर की अनपढ़ता का नाजायज फायदा उठाते हुए एक तथाकथित प्रारम्भतः शून्य, प्रभावहीन इच्छा पत्र का निष्पादन कर नामान्तकरण अपने नाम से तस्दीक करवा लिया, इच्छा पत्र से किसी व्यक्ति विशेष को हक एवं अधिकार हासिल नहीं होते हैं, इच्छा पत्र को जब तक सक्षम न्यायालय में सिद्ध नहीं करवा लेते, इच्छा पत्र के आधार पर किये गये नामान्तकरण एक संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) है जिससे केवल राजस्व कर ही जमा करवा सकता है।" वर्णित पंजीकृत वसीयत दिनांक 28.12.1964 एक पंजीकृत दस्तावेज है, उक्त वसीयत के प्रभावहीन होने अथवा नहीं होने बाबत वादी द्वारा 60 वर्ष पश्चात् वाद प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त पंजीकृत वसीयत से हुए इंतकाल को निरस्त किये जाने एवं खातेदारी घोषणा का अनुतोष वादी द्वारा अपने वाद पत्र में चाहा गया है। उक्त पंजीकृत वसीयत की सत्यता/वैधता के सम्बन्ध में निर्णय सिविल न्यायालय के द्वारा किया जाना है न कि राजस्व [illegible] द्वारा किया जाना है। अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण [illegible] लागू होते हैं। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:05 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक 25.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(नयन गौतम)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीविजयनगर

Scanned with OKEN Scanner